न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान पारी देवी बनाम मीरा देवी आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 एलआरएक्ट क्रमांक 197/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
24.07.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 24.03.2022 का है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.06.2022 को अपनी उपस्थिति दी व दिनांक 09.09.2022 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.09.2022 को रिकार्ड पर लिया तथा पत्रावली वास्ते जवाब पेश करने हेतु मुकरर्र की। दिनांक 07.10.2022से 16.06.2023 तक पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दी जाती रही। दिनांक 16.06.2023 को अपीलांट के एतराज के बावजूद पत्रावली में बहस नहीं सुनी गई व पत्रावली में आगामी पेशी मुकरर्र कर दी। उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 24.03.2022 की निरंतरता में आज भी प्रभावी है। इसलिए अपीलाण्ट दफा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रापवली का अवलोकन किया। दफा 5 अधिनियम के प्रार्थना अपील का गुणावगुण पर निर्णय श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन पर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलाण्ट व उसके पुत्र बहादुर उर्फ प्रकाश के पक्ष में धापा देवी ने अपने जीवन काल में दिनांक 16.02.1985 को निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाई है। धापा देवी की मृत्यु दिनांक 15.09.1995 को हुई। उपरोक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु अपीलाण्ट ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पुत्र पेश किया। तहसीलदार ने दिनांक 03.06.1992 को चक 31 (36) एलएलडब्ल्यू की कृषि भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करने के आदेश पारित कर दिये।	Order W/d Dated 27-7-2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

चक 35 एलएलडब्ल्यू के नामान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। चक 36 एलएलडब्ल्यू का नामान्तरण स्वीकृत हो चुका है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को रेस्पोडेण्ट ने चुनौती नहीं दी है। एकपक्षीय स्थगन आदेश को 30 दिवस के भीतर निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया था। अपीलाण्ट के जवाब को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को उचित आदेश पारित करना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र की कोई विवेचना नहीं की। आक्षेपित आदेश आगामी पेशी तक जारी न कर एक प्रकार से अंतिम आदेश पारित कर दिया इस कारण रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस नहीं की।

अपीलाधीन आक्षेपित आदेश में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया। रजि0 दस्तावेज को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है उक्त दस्तावेज के प्रभाव में रहते स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को आक्षेपित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट बहस हेतु सदैव तत्पर व तैयार रहा है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को अपनी भूमि के उपयोग व उपभोग में भारी परेशानी हो रही है लेकिन रेस्पो0 ने बहस नहीं कर रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में सीसीसी 2017 (2) पेज 208 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। आक्षेपित आदेश अंतरिम आदेश न होकर अंतिम आदेश है लेकिन फिर भी न्यायालय इसे अंतरिम आदेश माने तो भी अपील पोषणीय है इसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2021 (2) रेवन्यू पेज 1008, डीएनजे 2021 (2) रेवन्यू पेज 922, डीएनजे 2021 (2) पेज 1061, डीएनजे 2021 (1) पेज 1, सीसीसी 2010 (3) इलाहाबाद पेज 728, डीएनजे 2022 (2) रेवेन्यू पेज 1534, डीएनजे 2015 (1) राज0 पेज 81, डीएनजे 2021 (2) रेवेन्यू पेज 1381, आरआरटी 2014 (1) पेज 265, सीसीसी 2017 (2) पेज 208, 2016 आरआरटी पेज 1391, 2016 (2) आरआरटी पेज 1084, 2018 (1) सीसीसी पेज 262 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने दिनांक 09.09.2022 को जवाब प्रस्तुत कर दिया था जिसे दिनांक 16.09.2022 को रिकार्ड पर लिया गया। अपीलाण्ट के जवाब प्रस्तुत होने पर इस संबंध में कोई विवेचना नहीं की तथा पत्रावली को वास्ते जवाब पेश मुकर्रर कर दिया जबकि एकपक्षीय स्थगन को 30 दिवस में निस्तारण किया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत है। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय है। आक्षेपित आदेश में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गई है। आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। उक्त परिस्थियों में अपील अपीलांट स्वीकार की जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.03.2022 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा अनवानी मीरा देवी बनाम पारी देवी प्रकरण सं0 74/2022 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर 30 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.7.23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

27-7-2023 पत्रावली प्रा.पत्र पर पेश हुई। प्रा.पत्र पर सुना गया। आदेश दि. 24-7-2023 के पेज सं. 1 पर पद सं. 3 [illegible] के स्थान पर 36 [illegible] सहवन त्रुटि से संशोधित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
27/7/23